भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5209
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य</u>

5209. श्री बिभु प्रसाद तराई: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में, विशेषकर पंचामृत पहल के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है;

(ख) प्रधानमंत्री- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दे रही हैं;

(ग) अपतटीय पवन और बायोमास सहित सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं; और

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) कॉप-26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 214.68 गीगावाट अक्षय विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, लगभग 175.89 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 70.21 गीगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं दी जा चुकी हैं। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कुल गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी दिनांक 31.03.2014 के 32.5% से बढ़कर 47.37% हो गई है।

(ख) पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को दिनांक 29.02.2024 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया है, जिसमें वर्ष 2026-27 तक देश के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर लगाने के लिए 75,021 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है, ताकि रूफटॉप सौर को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। अनुमान है कि इस योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापनाओं के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता में वृद्धि होगी।

मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2030 तक मिशन के अपेक्षित परिणामों में अन्य के साथ-साथ 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि शामिल है।

(ग) भारत सरकार ने देश में सौर, पवन, जैव और लघु जल विद्युत सहित अक्षय विद्युत क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक में दी गई है।

(घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग करता है, जिसमें अन्य के साथ-साथ समझौता ज्ञापन, आशय पत्र, संयुक्त आशय घोषणापत्र, ऊर्जा वार्ता और भागीदारी शामिल हैं। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के तौर-तरीकों में नीतियों का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और अनुभव, प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कार्य समूह की बैठकों का आयोजन, आपसी हितों के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान या तकनीकी परियोजनाओं का विकास आदि शामिल हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन तंत्रों की सहमत शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय अक्षय ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्रवाई करता है।

अनुलग्नक

'नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5209 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।

- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****